

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)
अपील संख्या:- 12/116/2025 रजि0 न0 2025/287

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री मनीष कुन्दनानी पुत्र स्व. श्री नानक
कुन्दनानी, 181. आदर्श कॉलोनी, दाउदपुर
अलवर - 301001

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर
विकारा न्यारा, अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 25.08.2025

1. उभय पक्ष अनुपरिथत ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 11.06.2025 के परिपेक्ष्य में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया ।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है एवं इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 12.08.2025 को उपस्थित आवें ।
5. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर से जवाब पत्र संख्या यू0आई0टी0/आर0टी0आई0/2025/6704 दिनांक 07.08.2025 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ है जिसे अभिलेख पर लिया गया व अपील में उठाये गये तथ्यों-प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया । प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 11.06.2025 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना से अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र से अंकित बिन्दुओं के संबंध में न्यास पत्र क्रमांक 5490 दिनांक 08.07.2025 को प्रेषित किया जा चुका है । प्रति संलग्न है ।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया ऑफलाइन पत्र स. 6457 दिनांक 31.07.2025 के माध्यम से चाही गई सूचना का विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है एवं पुनः अपीलार्थी को सूचना का विनिश्चय किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है ।
7. आज दिनांक 25.08.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।



(डा. शार्वतीका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर